

## कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून पिन कोड-248195

सं०: स्था०नि०/प्रतिवेदन संख्या-22/2018-19/

दिनांक : /06/2018

सेवा में,

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,

ग्राम पंचायत- मयाली

विकास खण्ड- जखोली

जिला- रुद्रप्रयाग

**विषय :** ग्राम पंचायत मयाली, विकास खंड- जखोली का वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के **भाग 2 (अ)** में शून्य प्रस्तर, **भाग-2(ब)** में 01 प्रस्तर तथा STAN के शून्य प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (*Annual Technical Inspection Report*) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग 2(ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में पेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं० स्था०नि०/प्रतिवेदन संख्या-22/2018-19/

दिनांक: /06/2018 प्रतिलिपि

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित :

- 1- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, डांडा लाखोंड, आई०टी०पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून
- 2- निदेशक, लेखापरीक्षा (ऑडिट) निदेशालय उत्तराखण्ड, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोड: 248005
- 3- जिला पंचायतराज अधिकारी रुद्रप्रयाग
- 4- खण्ड विकास अधिकारी जखोली, जनपद- रुद्रप्रयाग

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

## कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

ग्राम पंचायत मयाली, (क्षेत्र पंचायत- जखोली, जनपद- रुद्रप्रयाग) के लेखे पर निरीक्षण प्रतिवेदन। यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखाकार (क.श.एवं.से.श.) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत सम्पन्न की गयी है।

### भाग-1

ग्राम पंचायत, मयाली, (क्षेत्र पंचायत- जखोली, जनपद - रुद्रप्रयाग के वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के लेखों की संप्रेक्षा श्री हिमांशु शर्मा ले.प. द्वारा 22.05.2018 में की गयी।

### 2. परिचय

(अ) इस ग्राम पंचायत का यह प्रथम निरीक्षण था।

(ब) ग्राम पंचायत का परिचय अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

### 3. प्रशासन

उल्लिखित अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधान और उप प्रधान थे-

#### I. प्रधान

नाम

अवधि

(अ) श्री हरीश सिंह पुण्डीर

दिसम्बर 2017 से अब तक

(ब) राकेश काला

जुलाई 2014 से जून 2017

II. उपप्रधान-

तक

नाम

सितम्बर 2014 से वर्तमान

(अ) श्रीमती शशि देवी

तक

**भाग-2**  
**अनुभाग 'अ'**

1 (अ) पिछले प्रतिवेदनों के बकाया आपत्तियों के प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है।

**-प्रथम निरीक्षण-**

(ब) सतत् अनियमितताएं:-

**-शून्य-**

**2. अनुदान**

अनुदानों की विनियोग पंजी नहीं रखी जा रही है, एवं अनुदानों की विनियोग पंजी न रखने से होने वाले प्रभाव निम्नवत् है।

1- अनुदान पंजिका नहीं बनाये जाने के कारण उपभोग प्रमाण पत्र की जांच नहीं हो सकी।

**भाग-2**  
**अनुभाग 'ब'**

**1. लेन-देनों का परिमाण**

सम्प्रेक्षणाधीन वर्ष के दौरान लेन-देनों का परिमाण निम्नलिखित विवरणानुसार था।

**धनराशि ( ` में)**

01.04.2015 को प्रारम्भिक शेष	` 28767/-
जोड़े-वर्ष के दौरान प्राप्तियां	` 1112000/-
कुल प्राप्तियां	` 1140767/-
घटाये:- वर्ष के दौरान व्यय	` 1073174/-
31.03.2018 को अंतिम शेष	` 67593/-

**2. रोकड़ शेष:**

(i) ग्राम पंचायत की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2018 को शेष का कोषालय/बैंक पास बुक/विवरण के शेष से मिलान किया गया है।

-----शून्य-----

<b>3. समाधान विवरण</b>		
		(धनराशि ` में)
रोकड़ बही के अनुसार शेष	:	` 67593/-
<b>जोड़े</b>	:	
(i)	:	0.00
<b>घटायें</b>	:	
(i)	:	0.00
बैंक पासबुकोविवरण/ के अनुसार शेष	:	` 67593/ -

(ii) रोकड़ बही में अनियमितताएं

-----शून्य-----

**4. आय व्ययक**

(अ) ग्राम पंचायत ने वर्ष के लिए न तो कोई आय व्ययक अनुमान तैयार/अनुमोदित किया न ही उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 के नियम 44 के अधीन कोई कार्यवाही की। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई राशि ` 1073174/-उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 के नियम 44 के अनुसार अनाधिकृत है।

**5. अग्रिम:**

अग्रिम पंजिका नहीं बनायी गयी थी। अतएव निरीक्षण में अग्रिमों के संबंध में कोई निरीक्षण टिप्पणी नहीं की जा सकी।

**6. नहीं बनाये गये अति महत्वपूर्ण अभिलेख:**

(1) ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित लेखा पंजिकायें/अभिलेख नहीं खोली/रखी गयी थी या इनका ठीक से रख-रखाव नहीं किया गया था:-

लेखा पंजिकाओं/अभिलेखों का नाम

1- CAG के 08 प्रपत्र

1. इकाई द्वारा बैंक से नगद आहरण किया जा रहा था।
2. आन्तरिक लेखापरीक्षा सम्पादित नहीं की जा रही थी।
3. पंचायत की आय बढ़ाने के प्रयास नहीं किया जा रहे थे। जिससे पंचायत परफॉर्मन्स से वंचित रही।

## भाग-एक

(क) परिचयात्मक:- कार्यालय ग्राम पंचायत मयाली, (क्षेत्र पंचायत- जखोली, जनपद - रुद्रप्रयाग की वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक के लेखा -अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री राजवेश भट्ट, ले.प. द्वारा दिनांक 22.05.2018 से 28.05.2018 तक को संपादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थिति: **प्रथम निरीक्षण**

**लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० प्रस्तर भाग-4 (अ ) प्रस्तर भाग-4 (ब )**

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर -

**प्रतिवेदन संख्या वर्ष**

**भाग**

**प्रस्तरों की संख्या**

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर-

---

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची:

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख:

**भाग -3(ग्राम पंचायत - मयाली)**

**2015-16**

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केंद्रीय वित्त	0	116000	116000	116000	0
2	राज्य वित्त	28767.25	80000	108767.25	97330	11437
<b>कुल योग</b>		<b>28767.25</b>	<b>196000</b>	<b>224767.25</b>	<b>213330</b>	<b>11437.25</b>

**2016-17**

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केंद्रीय वित्त	0	346000	346000	122155.37	223844.63
2	राज्य वित्त	11437	127000	138437.25	12500	125937.25
<b>कुल योग</b>		<b>11437.25</b>	<b>473000</b>	<b>484437.25</b>	<b>134655.37</b>	<b>349781.88</b>

**2017-18**

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केंद्रीय वित्त	223844.63	340000	563844.63	563844.63	0
2	राज्य वित्त	125937.25	103000	228937.25	161344.07	67592.38
<b>कुल योग</b>		<b>349781.88</b>	<b>443000</b>	<b>712781.88</b>	<b>725189.50</b>	<b>67592.38</b>

**लेखाओं पर टिप्पणी:-**

(i) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है ।

(ii) इकाई द्वारा बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया जा रहा है ।

## भाग-2 (ब)

**प्रस्तर 01:- भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु निर्धारित नवीन बजट तथा लेखा प्रारूपों पर लेखा तैयार नहीं किया जाना।**

भारत के 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन के दिशा में सशक्त बनाने हेतु भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु नवीन एवं सरलीकृत बजट तथा लेखा प्रारूपों को अपनाने हेतु निर्धारित किया गया था। जिसके तारतम्य में निदेशक पंचायती राज के पत्र संख्या 1761/पं./लेखा/सी.ए.जी. प्रपत्र 2010-11 देहरादून दिनांक 25 फरवरी 2011 द्वारा नवीन लेखा प्रणाली के अंतर्गत नवीन 8 प्रपत्रों को समस्त ग्राम पंचायतों में लागू करने के निर्देश जिला पंचायतराज अधिकारियों को दिये गए थे।

ग्राम पंचायत मयाली, के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि इकाई की रोकड़ बही तथा अन्य निर्धारित लेखा प्रारूप भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर तैयार नहीं किया जा रहा है जबकि इन प्रारूपों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लेखाकार/ग्राम पंचायत अधिकारियों तथा सम्बन्धित अधिकारियों को राज्य सरकार के प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों तथा उत्तरांचल ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

उपरोक्त के विषय पर पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि वर्तमान में पंचायत राज अधिनियम के द्वारा निर्धारित प्रारूपों में लेखांकन का कार्य किया जा रहा है, किन्तु सम्बन्धित प्रपत्रों के अभाव में अभिलेखों का लेखांकन निर्धारित प्रारूपों में नहीं हो पा रहा है।

अतः निर्धारित प्रारूपों को ग्राम पंचायत द्वारा लागू न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।



## **भाग-पाँच**

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मयाली, विकास खण्ड- - जखोली, जिला- रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून- 248195 को भेजना सुनिश्चित करें।

**वरि.लेखापरीक्षा अधिकारी /स्थानीय निकाय**